राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.(5) 236/निपेवि/~~नियम~~/2012/पार्ट V/3462-3662 H दिनांक : 24-11-2015

परिपत्र

विषय :— पेंशनर के विरूद्व लम्बित विभागीय जांच समाप्त करने की कार्यवाही तत्काल करने के सम्बन्ध में।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि जिन मामलों में सेवानिवृति के समय कर्मचारी के विरूद्व विभागीय जांच लम्बित होती है, उन मामलों में प्रोविजनल पेंशन अधिकृत की जाती हैं, पेंशनर के पति/पत्नी के नाम प्रो0 पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती है, जिसके कारण पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ नहीं होने पर पेंशनर के पति/पत्नी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पडता हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 61 (ख) एवं 90 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में केवल 100 प्रतिशत प्रो0 पेंशन अधिकृत करने का ही प्रावधान हैं। विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण निर्णित होने के बाद विभाग द्वारा अंतिम पेंशन प्रकरण भिजवाने पर पेंशन विभाग द्वारा सभी पेंशनरी लाभ अधिकृत किए जाते हैं जिनमे पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित है। विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण निर्णित होने से पूर्व पेंशनर की मृन्यु के मामलों में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र संख्या प.9 (2) (155) कार्मिक (क–3) / 97 दिनांक 16.03.1998 (प्रति संलग्न) द्वारा ब्यादिष्ट किया गया है कि मृतक राज्य कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व यदि कोई जांच लम्बित हो तो उसे समाप्त करने की कार्यवाई की जावे, संयुक्त जांच की स्थिति में मृतक राज्य कर्मचारी के अलावा अन्य के विरूद्व जांच कार्यवाई यथावत चालू रहेगी।

अतः पेंशनर की मृत्यु की सूचना मिलने पर कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के सन्दर्भ में अनुशासनिक अधिकारी को जांच समाप्त करने की कार्यवाई करने हेतु सूचना तत्काल भिजवाने तथा जांच समाप्त होने के उपरान्त शीघ्र अंतिम पेंशन प्रकरण भिजवाने की व्यवस्था की जावे ताकि पेंशनर के पति/पत्नी की पारिवारिक पेंशन यथा शीघ्र प्रारंभ हो सके।

भवदीय

संलग्नः–1 (पत्र के पीछे)

Sd/-
(के.के.गैडियोक)
निदेशक

क्रमांक : प.(5) 236/निपेवि/~~नियम~~/2012/पार्ट V/3462-3662-H दिनांक : 24-11-2015

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव...........................
2. समस्त विभागाध्यक्ष ....
3. समस्त जिला कलेक्टर्स...

निदेशक

P.T.O.